

श्रीमान् जी

2021 | 337

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक - पंजी0/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत एवं बन्द वसीयत को खुलवाने बाबत अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रार्थी सुखचैन सिंह पुत्र भगत सिंह जाति रायसिख निवासी गांव 9 एम.डी(सतराना) तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसनामा, मूल रसीद, आई.डी. प्रूफ, एवं दो गवाहों के शपथ पत्र, आई.डी.प्रूफ पेश किया है। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया है कि मेरी माता श्रीमती सुरेन्द्र कौर पत्नी भगत सिंह जाति रायसिख निवासी गांव 9 एम.डी(सतराना) तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा बन्द वसीयत 29.09.2015 को करवाई थी उनका स्वर्गवास दिनांक 13.11.2021 को हो चुका है, जो खोली जाकर पंजीकृत की जावे।

प्रार्थी को गवाहान बघेल सिंह पुत्र अवतार सिंह एवं गुरनाम सिंह पुत्र बलवन्त सिंह ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त अधिवक्ता सतपाल सिंह श्रीगंगानगर ने की है। अतः निर्धारित शुल्क जमा करवाकर सिल्ड पैकेट बंद लिफाफा खोलने हेतु आदेशार्थ प्रस्तुत है।

जिला पंजीयक महोदय

6
27/11

27/11/21